न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 25 सन् 2014
पंजीयन दिनांक 10.04.2014

नानालाल पिता रूपा जाति धाकड़ निवासी फतेहपुरा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. नन्दा पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
2. बंशी पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
3. लाभचंद पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
4. मूलचंद पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
5. रामेश्वर पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
6. केशीबाई पत्नि किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
7. नन्दलाल पिता नाना जाति धाकड़ निवासी फतेहपुरा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
8. देवीलाल पिता नाना जाति धाकड़ निवासी फतेहपुरा तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
9. फुलचंद पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी खेडी तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
10. कैलाश पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी खेडी तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
11. तहसीलदार बेगॅू तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
12. बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली जरिये प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़
13. चित्तौड़गढ़ क्षैत्रीय बैंक शाखा बिछोर जरिये प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिछोर तहसील बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगॅू
प्रकरण संख्या 59/2006 वाद अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2009

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट सं.1 से 10 व 12,13 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 11

निर्णय **दिनांक 13.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगायत 6 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 व अन्य रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खातेदारी मे मोजा फतेहपुरा तहसील बेगॅू की आराजी नम्बर 207 व 208 रकबा 44 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि अवस्थित है। जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने 8 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

भूमि जरिये पंजीकृत बहनामा क्रय की। रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 8 प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने 5 बीघा कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 9 व 10 ने 8 बीघा कृषि भूमि क्रय की। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण ने 20 बीघा 6 बिस्वा कृषि आराजीयात अलग-अलग तारीखो मे क्रय की। करीब 3 बीघा भूमि विक्रेता चावण्डसिंह के शेष रही, परन्तु विक्रय पत्र के आधार पर मोजा फतेहपुरा तहसील बेगूँ का नामान्तकरण सं. 5 दिनांक 14.08.1976 को स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार नामान्तकरण बंटा बटी मे स्वीकृत कर दिया और उक्त नामान्तकरण मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 के विक्रेता शांतिलाल के नाम 6 बीघा भूमि ही दर्ज कर दी गई। जबकि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 8 को 8 बीघा कृषि भूमि विक्रय की गई। विक्रेता शांतिलाल के द्वारा 8 बीघा कृषि भूमि ही तत्कालीन खातेदार चावण्डसिंह से क्रय की गई। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य होते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को निरस्त कर रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे प्राप्त फर्द बंटवाडे के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2009 से व्यथित होकर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की।

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रथम अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपील अपीलान्ट पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 10 व रेस्पोडेन्ट सं. 12 व 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 11 जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपीलान्ट अन्य रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 13 प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 व अन्य प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने अपनी ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। काउन्टर क्लेम के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये। अपने काउन्टर क्लेम को प्रमाणित करवाये जाने हेतु मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित करवाया। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से भी जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दावा जवाबदावा व काउन्टर के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने 5 तनकियात कायम की। उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.07.2009 को विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसमे कमिश्नर स्वयं के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया जाकर पक्षकारान को बिना सूचना दिये उप-तहसीलदार पारसोली के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। बंटवाडा नियम 18 से 21 के अनुरूप नही था, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त फर्द बंटवाडे पर पक्षकारान की बिना आपत्ति व एतराज सुने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। उक्त काउन्टर क्लेम को अस्वीकार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील क्रमांक डिक्री 167/2009 प्रस्तुत की गई जो न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 12.07.2012 को निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को यथावत रखा गया। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय मे प्रस्तुत की। उक्त अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय मे विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील स्वीकार योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 11 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण 1 से 6 वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 13 प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहखातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण ने काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया। उभयपक्षो के अधिवक्ताओ को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.07.2009 का प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिनुसार होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण ने अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरुद्ध मोजा फतेहपुरा तहसील बेगूँ की खाता सं. 20 मे दर्ज आराजी नम्बर 207 व 208 कुल किता 2 कुल रकबा 7.16 हैक्टेयर कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 का 6/44 हक व हिस्सा मानते हुए बंटवाडे की दाद चाही गई। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने चावण्डसिंह के क्रेता शांतिलाल से 8 बीघा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 का 6/44 हिस्सा नही होकर 8/44 हक व हिस्सा बनता है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 का 8/44 हक व हिस्से की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जावे, जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.07.2009 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए वादपत्र स्वीकार कर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 का काउन्टर क्लेम निरस्त करते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 का 6/44 हक व हिस्से की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2009 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय मे प्रथम अपील क्रमांक डिक्री 167/2009 प्रस्तुत की जो इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.07.2012 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2009 को विधिसम्मत होना मानते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई जिसके विरुद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय मे विचाराधीन है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे नायब तहसीलदार पारसोली के द्वारा फर्द बंटवाडा, बंटवाडा नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो को सुना जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2009 पारित की है। जिससे प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2009 सक्षम अपीलीय न्यायालय से निरस्त नही हो जाती है तब तक अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को अवैधानिक माना जाना न्यायोचित नही है। जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत अपील विधिसम्मत नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी सं. 5 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 59/2006 रेवेन्यू वाद अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2009 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय एवं डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 25/2014 /डिक्री

श्री नानालाल पिता रूपा जाति धाकड़ निवासी फतेहपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ । बनाम

(1) श्री नन्दा पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ ।
(2) बंशी पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ ।
(3) रामचंद्र पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ ।

-अपीलान्ट -रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ दि. 17-8-2009

प्रकरण सं. 59/2006 अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 13-12-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री होगालाल जाट रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रेस्पो. 1 से 10, 12, 13 नाबालिग एकतरफा अनुपस्थित प्रभुलाल स्वर्णकार राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 11 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलांट प्रतिवादी सं. 5 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 59/2006 रेवेन्यू वाद अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17-08-2009 यथावत रखा जाता है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ...-... रुपये हैं, ...-... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ...-... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 13-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 13-12-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(4) मूलचंद पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

(5) रामेश्वर पिता किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

(6) केशीबाई पत्नी किशोर जाति लुहार निवासी केरपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

(7) नन्दलाल पिता नाना जाति धाकड़ निवासी फतेहपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

(8) देवीलाल पिता नाना जाति धाकड़ निवासी फतेहपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

(9) फूलचंद पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी खेड़ी तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

(10) कैलाश पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी खेड़ी तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

(11) तहसीलदार बेगूं तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

(12) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पारसोली जरिये प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पारसोली तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

(13) चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय बैंक शाखा बिहार जरिये प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिहार तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)